-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **चोरी व टप्पेबाजी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 सदस्यो को थाना बदौसा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गया गिरफ्तार। म0प्र0 के रहने वाले हैं सभी अभियुक्त। बंजारे के रुप में अलग-अलग स्थानों पर बस कर ठगी व टप्पेबाजी की घटनाओं को देते थे अंजाम। बांदा, चित्रकूट सहित आस-पास के जनपदों में कई घटनाओं को दे चुके है अंजाम।**
- **दिनांक 10.11.2025 को अभियुक्तों द्वारा थाना बदौसा में 12.50 लाख रुपये की चोरी/टप्पेबाजी की घटना को दिया गया था अंजाम। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 6.80 लाख रुपये नकद, चोरी की राशि से खरीदे गए 3.75 लाख रुपये के पीली धातु के बिस्किट/सिक्के बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, टप्पेबाजी व ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.11.2025 को थाना बदौसा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सोने की गिन्नी देने का लालच देकर 12.50 लाख रुपये की टप्पेबाजी/चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि जनपद झांसी के रहने वाले रवीन्द्र सोनी को जिला दतिया के रहने वाले महेश ने 250 ग्राम सोने की गिन्नी सस्ते दामों में दिलाने के नाम पर बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बागै नदी पुल के पास बुलाया था। जिस पर वह 12.50 लाख रुपये लेकर आए थे, तय स्थान पर वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। दो व्यक्ति उससे बातचीत करने लगे इसी दौरान अन्य व्यक्ति उसकी कार से रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए जब वह उनके पीछे भागा तो महेश तथा उसके साथ का व्यक्ति भी मौका पाकर भाग गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर पर थाना बदौसा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सहित कई टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 14.11.2025 को पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य फरार अभियुकतों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि सभी म0प्र0 के रहने वाले हैं तथा बांदा, चित्रकूट और आस-पास के जनपदों में घुमन्तू/बंजारों की तरह डेरा बनाकर परिवार के साथ रहते है तथा चोरी, टप्पेबाजी और ठगी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनका अपराध करने का सबसे साधारण तरीका नकली सोने को असली बताकर लोगों को सस्ते दामों पर बेच कर ठगी की घटनाओं को अंजाम देना है। इस घटना में भी अभियुक्तों ने 250 ग्राम सोने की गिन्नी मात्र 12.50 लाख रुपये में बेचने का लालच पीड़ित को दिए थे, जब पीड़ित पैसा लेकर बदौसा आया तो इन सब ने मौका पर पीड़ित के चार पहिया वाहन में रखे रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 6.80 लाख रुपये नकद, चोरी किए रुपयों से खरीदे गए सोने के सिक्के, नकली पीली धातु के 1465 सिक्के आदि बरामद किए गए हैं।

बरामदगी(कुल बरामदगी 10.55 लाख रुपये) -

- कुल ₹6,80,000/- नकद (चोरी/टप्पेबाजी किए गए)
- पीली धातु के कुल 1,465 सिक्के (नकली तथा ठगी करने के लिए प्रयुक्त)
- चोरी/टप्पेबाजी की गई राशि से खरीदे गये पीली धातु के 05 शुद्ध सिक्के/बिस्किट वजन लगभग 30 ग्राम (अनुमानित कीमत ₹ 375000)
- कुल 04 एंड्रायड मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इजा लाल पुत्र खद्दारे लाल निवासी हरदवा थाना रीठी जिला कटनी (म0प्र0)
2. वरसन पुत्र आर्यन निवासी पिलोरी थाना रीठी जिला कटनी (म0प्र0)
3. जोकिन पुत्र अरसन निवासी पटेरा थाना रीठी जिला कटनी (म0प्र0)
4. महेश पुत्र गुल्ली उर्फ दुल्ली निवासी नेतुहापुर मजरा इन्द्रगढ़ जिला दतिया (म0प्र0)

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2)/3(5)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष बदौसा श्री अजीत प्रताप सिंह मय टीम
2. प्रभारी एसओजी श्री आनंद कुमार सिंह मय टीम